भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3608

दिनांक 21 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

गैर-अल्कोहलिक फैटी लिवर रोगों के मामले

3608. डॉ. के. सुधाकरः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में गैर-अल्कोहलिक फैटी लिवर रोगों में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या उक्त रोग के खतरों के बारे में जागरुकता पैदा करने के लिए कोई विशिष्ट कार्यक्रम बनाए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने देश में बढ़ रही कई जीवन शैली संबंधी बीमारियों के बारे में जागरुकता पैदा करने का निर्णय लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) सरकार द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए सरकारी स्कूलों में समय-समय पर स्वास्थ्य जांच सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ): अध्ययनों के अनुसार, गैर-अल्कोहल फैटी लिवर रोग (एनएएफएलडी) की सामुदायिक विद्यमानता 9% से 32% तक है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, भारत सरकार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के हिस्से के रूप में राष्ट्रीय गैर-संचारी रोगों (एनपी-एनसीडी) रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम के तहत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह कार्यक्रम बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, मानव संसाधन विकास, शीघ्र निदान, उपचार और प्रबंधन के लिए उचित स्तर की स्वास्थ्य सुविधा केंद्र के लिए

रेफरल और गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य संवर्धन और जागरूकता पैदा करने पर केंद्रित है। एनपी-एनसीडी के तहत, 770 जिला एनसीडी क्लीनिक और 6410 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एनसीडी क्लीनिक स्थापित किए गए हैं।

वर्ष 2021 में एनपी-एनसीडी की व्यापक संरचना के भीतर गैर-अल्कोहल फैटी लिवर रोग (एनएएफएलडी) अंतक्षेपों को एकीकृत किया गया है और इसके संचालन संबंधी दिशानिर्देश विकसित किए गए हैं। एनएएफएलडी के लिए इन संचालन संबंधी दिशानिर्देशों को वर्ष 2024 में संशोधित किया गया है, जो स्वास्थ्य संवर्धन, शीघ्र पता लगाने और व्यापक रोगी देखभाल के लिए बहु-विषयक दृष्टिकोण के समर्थन पर केंद्रित है।

आयुष्मान आरोग्य मंदिर योजना के माध्यम से व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या के तहत सामुदायिक स्तर पर आरोग्य कार्यकलापों और लक्षित संचार संवर्धन द्वारा गैर-संचारी रोगों के निवारक पहलू को मजबूत किया जाता है। जन जागरूकता बढ़ाने और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए अन्य पहलों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवसों को मनाना और निरंतर सामुदायिक जागरूकता के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया का उपयोग शामिल है। इसके अलावा, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफ़एसएसएआई) के माध्यम से स्वस्थ भोजन को भी बढ़ावा दिया जाता है। फिट इंडिया अभियान युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, और आयुष मंत्रालय द्वारा योग से संबंधित विभिन्न कार्यकलाप किए जाते हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्लू) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आंगनवाड़ी केंद्रों, सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में 0-18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) लागू करता है, जिसका उद्देश्य 32 चयनित स्वास्थ्य स्थितियों - 4 डी यानी जन्म के समय दोष, विकास संबंधी देरी, रोग और कमियों की शीघ्र पहचान और प्रबंधन करना है। शारीरिक कार्यकलापों को बढ़ावा देने, स्वस्थ आहार के बारे में परामर्श और जागरूकता अभियान सहित बहुक्षेत्रीय पहल भी आयोजित की गई।

*****